



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072026-273985
CG-DL-E-01072026-273985

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3427]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 1, 2026/ आषाढ 10, 1948

No. 3427]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 1, 2026/ ASHADHA 10, 1948

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2026

का.आ. 3562(अ).— चूँकि केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली के मास्टर प्लान (एमपीडी) -2021/ जेडडीपी जोन पी-II में निम्नलिखित क्षेत्र के संबंध में प्रस्तावित कुछ संशोधनों को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसार, भारत के राजपत्र, असाधारण में सार्वजनिक सूचना संख्या पीएलजी/एलपी/0002/2022/पी-II/एस-8/, दिनांक 09.12.2025 के रूप में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उपधारा (3) के अनुसार उक्त सूचना की तिथि से तीस दिनों के भीतर आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

2. चूँकि प्रस्तावित संशोधन के संबंध में एक आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुआ था और दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक में उस प्रस्ताव को भी अनुमोदित किया गया था।

3. चूँकि केंद्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली-2021 के मास्टर प्लान/ जेडडीपी जोन पी-II में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

4. अतः, उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा उक्त दिल्ली-2021 के मास्टर प्लान/ जेडडीपी जोन पी-II में भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन *:-

क्र. सं.	स्थान	क्षेत्र (हेक्टेयर में)	एमपीडी-2021/जेडडीपी जोन पी-II के अनुसार भूमि उपयोग		परिवर्तित भूमि उपयोग		सीमाएँ
			भूमि उपयोग	क्षेत्र (हेक्टेयर)	भूमि उपयोग	क्षेत्र (हेक्टेयर)	
	जोन पी-II के सेक्टर-8वीं में स्थित गड़ी खसरो गांव और इब्राहिमपुर गांव	40.23	व्यावसायिक	17.6044	आवासीय	15.8000	उत्तर: हिरंकी गांव (एलडीआरए)
					पी एंड एसपी	0.7564	
					मनोरंजन	1.0480	
			मनोरंजन	18.2721	आवासीय	8.2600	दक्षिण: प्रस्तावित 80 मीटर सड़क (यूईआर-III)
					व्यावसायिक	0.2267	
					पी एंड एसपी	1.1230	
					औद्योगिक	0.6658	
					परिवहन	0.6273	
					सरकारी	7.3693	
			सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक (पी एंड एसपी)	3.4379	आवासीय	0.9836	पश्चिम: प्रस्तावित 60 मीटर जेडडीपी सड़क
					व्यावसायिक	0.2496	
					औद्योगिक	1.2372	
					मनोरंजन	0.0275	
					परिवहन	0.9400	
परिवहन	0.6156	पी एंड एसपी	0.0540				
		मनोरंजन	0.3316				
		सरकारी	0.2300				
जलाशय (नहर)	0.3000	जलाशय (नहर)	0.3000 (कोई परिवर्तन नहीं)				

* संबंधित इन्फ्रास्ट्रक्चर और सेवा प्रदाता एजेंसियों के साथ आवश्यक समन्वय सुनिश्चित किया जाना चाहिए और समग्र भूमि उपयोग वितरण में संतुलन बनाए रखना चाहिए।

[फा.सं. के-13011/2/2026-डीडी.।]

यू. के. तिवारी, अवर सचिव

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2026

S.O. 3562(E).— Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021/ZDP Zone P-II regarding the area mentioned hereunder was published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide No. PLG/LP/0002/2022/P-II/S-8/, dated 09.12.2025 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas one objection/suggestion was received with regard to the proposed modification and proposal was also approved at the meeting of the Delhi Development Authority.

3. Whereas the Central Government have after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021/ZDP Zone P-II .

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021/ZDP Zone P-II with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

MODIFICATION*:-

Sl. No.	Location	Area (in Ha.)	Landuse as per MPD-2021 / ZDP Zone P-II		Landuse changed to		Boundaries
			Landuse	Area (Ha.)	Landuse	Area (Ha.)	
1.	Village Gadi Khasro & Village Ibrahimpur in Sector-8B of Zone P-II	40.23	Commercial	17.6044	Residential	15.8000	North: Hiranki village (LDRA) South: Proposed 80 m road (UER-III) East: Proposed 100 m road (UER-II) West: Proposed 60 m ZDP road
					P&SP	0.7564	
					Recreational	1.0480	
			Recreational	18.2721	Residential	8.2600	
					Commercial	0.2267	
					P&SP	1.1230	
					Industrial	0.6658	
					Transportation	0.6273	
					Government	7.3693	
			Public & Semi-Public (P&SP)	3.4379	Residential	0.9836	
					Commercial	0.2496	
					Industrial	1.2372	
					Recreational	0.0275	
Transportation	0.6156	Transportation	0.9400				
		P&SP	0.0540				
		Recreational	0.3316				
Water Body (Canal)	0.3000	Government	0.2300				
		Water Body (Canal)	0.3000 (no change)				

* Necessary coordination with the concerned infrastructure and service-providing agencies and the balance in overall land-use distribution is to be ensured.

[F.No. K-13011/2/2026-DD.I]

U K TIWARI, Under Secy.